—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 166/2022

उनवान

दारा सिंह पुत्र शंकर सिंह जाति रावत निवासी ग्राम गोडियावास, गगवाना, अजमेर
——वादी :—जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
2. प्रभु सिंह पुत्र भैरू सिंह जाति भांबी निवासी ग्राम श्रीनगर, नसीराबाद
—— प्रतिवादीगण :— 1 जरियें राज. पैरोकार, 2 अनुपस्थित

3. मोहन सिंह पुत्र शंकर सिंह
4. सोहन सिंह पुत्र शंकर सिंह समस्त जाति रावत निवासी ग्राम गोडियावास, गगवाना, अजमेर
—— प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 9.1.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 672, 673, 674, 679, 680 की आराजी वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की कयशुदा खातेदारी काश्तकारी की हैं, जो नामान्तकरण संख्या 2957 दिनांक 14.11.22 से राजस्व अभिलेख में दर्ज की गयी। वादी कय दिनांक से उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। हाल खसरा नम्बर 671, 675 से 678, 681, 682, 685, 686, 687/8737 प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी की है। राजस्व मानचित्र 1970—71 के अनुसार खसरा नम्बर 469 व 470 जो कि सिवायचक था, जिसके हाल खसरा नम्बर 668, 669 व 670 है, मौके व रिकार्ड के अनुसार सही हैं। दौराने बंदोबस्त हाल राजस्व मानचित्र में 668 व 669 की मौके पर गलत तरमीम कर दी गयी। व उनके स्थान पर साबिक खसरा नम्बर 479 के हाल खसरा नम्बर 671, 675 व 676 की तरमीम खसरा नम्बर 668 व 669 के स्थान पर दर्ज कर दी गयी। हाल राजस्व मानचित्र में आराजी मुतनाजा की गलत तरमीम के कारण प्रतिवादी संख्या 2 वादी के खेतों में रास्ता निकालने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र पूर्व अनुसार दुरूस्त कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा पावंद किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:14:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 प्रकरण में अनुपस्थित रहा। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का नक्शा साबिक नक्शा के अनुसार हाल नक्शा दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 672, 673, 674, 679, 680 की आराजी वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की खातेदारी की हैं। हाल खसरा नम्बर 671, 675 से 678, 681, 682, 685, 686, 687/8737 प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी की है। वादी का कथन है कि राजस्व मानचित्र 1970–71 के अनुसार खसरा नम्बर 469 व 470 जो कि सिवायचक था, जिसके हाल खसरा नम्बर 668, 669 व 670 है, मौके व रिकार्ड के अनुसार सही हैं। दौराने बंदोबस्त हाल राजस्व मानचित्र में 668 व 669 की मौके पर गलत तरमीम कर दी गयी। व उनके स्थान पर साबिक खसरा नम्बर 479 के हाल खसरा नम्बर 671, 675 व 676 की तरमीम खसरा नम्बर 668 व 669 के स्थान पर दर्ज कर दी गयी। हाल राजस्व मानचित्र में आराजी मुतनाजा की गलत तरमीम होने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 वादी के खेतों में रास्ता निकालने पर आमादा है। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का नक्शा साबिक नक्शा के अनुसार हाल नक्शा दुरूस्त किया जाना उचित है। आराजी मुतनाजा के साबिक व हाल राजस्व मानचित्र के अवलोकन व तुलना करने पर आराजी मुतनाजा का हाल राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रकरण में उपस्थित होकर वाद का खण्डन नही किया है। आराजी मुतनाजा के राजस्व मानचित्र को दुरूस्त करने से खातेदारी अधिकार व भूमि के रकबे पर कोई परिवर्तन नही होना है। राजस्व मानचित्र दुरूस्त करने से प्रतिवादीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से वाद के कथनों की ताईद होती है।

उक्तानुसार वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 672, 673, 674, 679, 680 के हाल व साबिक राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटी को दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:14:59 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

दारा सिंह बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 166/2022
पेश करने की दिनांक – 23.11.22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुददई जितेन्द्र गुर्जर व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद ग्राम श्रीनगर के हाल खसरा नम्बर 672, 673, 674, 679, 680 के हाल व साबिक राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटी को दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअख्त दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 9 माह 1 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:14:59 IST
Reason: SelfAttested